महत्वपूर्ण
संख्याः– 09/2019/632/उन्नीस–2–2019–1061/85

प्रेषक

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2019

विषयः– स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2019 मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 73वां स्वाधीनता दिवस समारोह परम्परागत रूप से सादगी व आकर्षक ढंग से मनाया जायेगा।

2– आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है, किन्तु यदि आवश्यक समझा जाये तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

{1} 15 अगस्त को प्रातः 8:00 बजे सरकारी तथा गैर–सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये तथा झण्डा–अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियां बांध कर उसे फहराया जा सकता है।

{2} इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथ–निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाये तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के साथ–साथ लोगों की परम्परागत एकता प्रदर्शित करने के लिए मानव–श्रृंखला बनाने पर भी विचार किया जाये।

{3} समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये, जिसमें राष्ट्रगान 'जन–गण–मन' का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता–संग्राम का इतिहास बताया जाय तथा देश पर शहीद हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक–प्रसंग दोहराये जायें, जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसके अतिरिक्त देशप्रेम की

भावना जागृत करने वाले नाटक, विचार–गोष्ठी, वाद–विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, निबन्ध–लेखन से सम्बन्धित प्रतियोगिताएं भी यथा–सम्भव आयोजित करायी जायें। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ ही शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किये जायें। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

{4} स्वतंत्रता–दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु शासन के खेल विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

3– अपरान्ह् में परम्परागत रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जाये जिसमें:–

{1} स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जन–साधारण को यह भी याद दिलाया जाये कि हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष करके, अपना सब कुछ न्यौछावर कर जो राजनीतिक स्वाधीनता हासिल की थी, उसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता लाने का दायित्व विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर जन–साधारण को बताया जाये कि सभी समुदायों के महापुरुषों ने एकता, आपसी सद्भाव, भाई–चारे व इंसानियत पर बल दिया है। इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों के कार्यों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाये, ताकि समाज में इन्सान और इन्सानियत की अहमियत बढ़े।

{2} राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक **'राष्ट्रीय ध्वज'** के महत्व के बारे में आमजन को बताया जाये।

{3} पंथ–निरपेक्षता की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाये कि राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं। मेल–जोल से होगा, वैर–भाव से नहीं, एक–दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरूषों का आदर करने से होता है, अनादर से नहीं।

{4} इस समारोह में किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी को बुलाया जाना सम्भव हो तो उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया जाय।

4– 15 अगस्त, 2019 को ब्लाक, तहसील तथा जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाये। श्रेयस्कर होगा कि इन समारोहों का आयोजन उन्हीं स्थानों पर किया जाये, जहां सन् 1947 में स्वाधीनता मिलने पर जन–समुदाय ने आह्लादित एवं रोमांचित होकर यह उत्सव मनाया था।

5– स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2019 की रात्रि में सरकारी कार्यालय–भवनों तथा अन्य इमारतों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया जाये।

6– स्वतंत्रता–दिवस के अवसर पर अधिकाधिक जन–सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी संस्थाओं, समूहों तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाय जो

15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करने की सदिच्छा व्यक्त करते हैं।

7– विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं से जन–मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाये। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाय।

8– प्रदेश सरकार '**सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास'** की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ तथा सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से किसानों, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं उपेक्षित वर्ग के साथ–साथ प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए **साफ नीयत सही विकास** के संकल्प को साकार कर रही है।

राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उसकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कितनी संवेदनशील है। वर्तमान सरकार **'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास'** के संकल्प के साथ सभी के हित से जुड़े निर्णय ले रही है, जिससे विकास के नये रास्ते खुलेंगे और प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका **संलग्नक परिशिष्ट** में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जनसभाओं में जनसाधारण को अवगत कराया जाए।

यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक भी किया जाए।

संलग्नक – परिशिष्ट

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्याः– 09/2019/632(1)/उन्नीस–2–2019–1061/85 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि/ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रदेश के मा0 उप मुख्यमंत्री/समस्त मा0 मंत्री/मा0राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्रीगण के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रमः–

1. जनसमस्या निवारण :–

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित ''जनता दर्शन'' में प्रदेश के कोने–कोने से आये पीड़ितों /शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर. एस.) के तहत कुल 1,39,14,985 प्राप्त संदर्भों में से 1,30,19,611 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया गया। तहसीलों में '**सम्पूर्ण समाधान दिवस'** का नियमित रुप से आयोजन करते हुए जनवरी, 2019 से अब तक प्राप्त 2,14,904 शिकायतों में 1,65,369 शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करते हुए शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके साथ ही आम जनता एवं अधिकारियों के मध्य सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रतिदिन जनसमस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का शुभारम्भ 04 जुलाई, 2019 को किया गया। जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु किसी भी शिकायत/सूचना/ सुझाव हेतु कोई भी टोल–फ्री नम्बर 1076 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

2. आस्था को नमन :–

(1) प्रयागराज में भव्य एवं दिव्य कुम्भ–2019 का सफल आयोजन। 49 दिनों तक चले कुम्भ में 24.56 करोड़ लोगों ने संगम में निर्मल जल में डुबकी लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। एक दिन के लिए प्रयागराज 5 करोड़ से अधिक आबादी वाला दुनिया का शहर बना।

(2) कुम्भ में 7 हजार से अधिक लोगों ने पेंटिंगवाल पर हाथों की छाप से बनाया हस्तलिपि चित्रकारी का विश्व रिकार्ड। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज।

(3) प्रयागराज कुम्भ–2019 में सहसों बाईपास से नवाबगंज मार्ग तक 503 शटल बसों का एक साथ एक रूट पर सफल संचालन करने के साथ ही गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ।

(4) आस्था विश्वास और श्रद्धा से सराबोर कुम्भ मेले को यूनेस्को ने **'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर'** के रूप में मान्यता दी।

(5) पहली बार शाही स्नान पर साधु–संतों पर हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की गई।

(6) कुम्भ–2019 में पहली बार 72 देशों के राजदूतों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में से 187 देशों के प्रतिनिधियों ने भी दिव्य और भव्य कुम्भ का वैभव देखा।

(7) कुम्भ–2019 की स्वच्छता के लिए 22 हजार स्वच्छताग्रहियों ने कुम्भ को स्वच्छ रखा। कुम्भ में 1,22,500 से अधिक इकोफ्रेन्डली शौचालयों का रिकार्ड निर्माण। सेनिटेशन को लेकर कुम्भ मेले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज।

(8) कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 01 लाख रुपये प्रति यात्री की गई। जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर/चार धाम यात्रियों की सुविधा हेतु 57.99 करोड़ रुपये से भवन के निर्माण का कार्य।

(9) सिंधु दर्शन का अनुदान 20 हजार रुपया प्रति यात्री किया गया।

(10) जनपद वाराणसी में 12.10 करोड़ रुपये से वैदिक सांइस सेन्टर की स्थापना तथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का 210 करोड़ रुपये से विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण करने का कार्य।

(11) जनमानस की सुविधा हेतु जनपद चित्रकूट, कामदगिरि परिक्रमा स्थल में 13.75 करोड़ रूपये व अयोध्या में 14.67 करोड़ रुपये से भजन स्थल का निर्माण।

(12) उ0प्र0 की सांस्कृतिक विरासत की विभिन्न लोककलाओं एवं कलाकारों पर हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में 15 डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों का निर्माण। 60 वर्ष से अधिक 321 वृद्ध/विपन्न कलाकारों को 2000 रूपये प्रतिमाह मासिक पेंशन।

(13) गोरखपुर शहर में अत्याधुनिक प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर। जनपद मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना।

(14) अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

(15) दादरा/गजल/ठुमरी के विशेष प्रतिभावान कलाकारों को राज्य सरकार द्वारा बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना संचालित।

3. कानून व्यवस्थाः–

(1) अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण सृजित कर कानून का राज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों के अन्दर कानून का भय का वातावरण व्याप्त करना उ0प्र0 शासन की प्रमुख नीति है। इसके कारण लोगों में सुरक्षा की भावना का व्यापक संचार हुआ है।

(2) राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेन्स की नीति अपनाई है। कानून व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण करके प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

(3) अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण से प्रदेश में विकास का माहौल बना है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तथा प्रदेश में कानून का राज पुनः स्थापित हुआ है। सभी प्रमुख त्यौहार मेले आदि सकुशल सम्पन्न हुए हैं। सोशल मीडिया की सक्रियता से भी अपराधों पर नियंत्रण पाया गया है तथा पुलिस की छवि उज्ज्वल हुई है।

(4) अपराधों को शत–प्रतिशत दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहली बार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एफआईआर काउन्टर खोले गए। पुलिस की सक्रियता के फलस्वरूप 01.01.2019 से 15.05.2019 तक 48 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 अपहृतों को सकुशल मुक्त कराने में सफलता प्राप्त हुई है।

(5) 16 मार्च, 2017 से 15 मई, 2019 तक की अवधि में विगत अवधि के सापेक्ष शस्त्र अधिनियम में 7.95 प्रतिशत, जुआ में 7.06 प्रतिशत, एनडीपीएस में 17.999 प्रतिशत, आबकारी में 2.46 प्रतिशत, गुण्डा अधिनियम में 4.43 प्रतिशत, गैगेस्टर में 8.56 प्रतिशत, एनएसए में 2.27 प्रतिशत से अधिक की कार्यवाही की गयी है।

(6) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़–छाड़ की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पहली बार एंटीरोमियों स्क्वायड का गठन हर जिले में किया गया।

(7) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ टेलीफोन के माध्यम से छेड़खानी, विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न व अपराधों को राकने के लिए स्थापित 1090 में वर्ष 2018 में कुल प्राप्त 2,66,005 शिकायतों में से 98.80 प्रतिशत शिकायतों का समाधान कर राहत पहुंचायी गयी है।

(8) महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार द्वारा **निर्भया फण्ड** की स्थापना की गयी, जिसमें देश के 8 शहरों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार की सहायता से ''सेफ सिटी प्रोजेक्ट'' के अन्तर्गत लखनऊ में 195.55 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गयी है।

(9) आपरेशन आत्मरक्षा जून 2018 से 6 माह के लिए उ0प्र0 के समस्त जनपदों में चलाया गया, जिसके अन्तर्गत लगभग 573308 स्कूल/कालेज जाने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया।

(10) एटीएस एवं एसटीएफ को सुदृढ़ किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए 15 मार्च, 2017 से 30 जनवरी, 2019 तक 1815 अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी, जिसमें 174 इनामी अपराधी, 1198 दुर्दान्त अपराधी व संगठित अपराधी, 64 वन्य जीव अपराधी तथा 269 मादक पदार्थ के तस्कर एवं 217 साइबर अपराधी शामिल हैं।

(11) सोशल मीडिया के माध्यम से फैलायी जाने वाली अफवाहों को रोकने के लिए प्रदेश के समस्त थानों पर डिजिटल वॉलन्टियर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाये गये, जिसके माध्यम से अभी तक लगभग 2 लाख लोगों को डिजिटल वॉलन्टियर बनाया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है।

4. उद्योगः–

(1) राज्य सरकार ने नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति जारी की है। औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार द्वारा निवेश फ्रेण्डली 16 नई नीतियां बनाई गयी।

(2) निवेश को प्रोत्साहित करते हुए राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से माह फरवरी, 2018 में **उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट–2018** का आयोजन किया गया। देश विदेश के शीर्ष निवेशकों, उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश सम्बन्धी एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित। माह जुलाई, 2018 में **प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी** के दौरान 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास देश के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों द्वारा किया गया। 28 जुलाई, 2019 को **द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी** का आयोजन। जिसमें लगभग 65 हजार करोड़ रुपये की 250 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी।

(3) **ईज आफ डूइंग बिजनेस** के तहत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान लागू। इसमें प्रदेश 92.87 प्रतिशत स्कोर के साथ निरन्तर अग्रसर। 'निवेश मित्र' सिंगिल विण्डो वेब पोर्टल बनाया गया।

(4) बुन्देलखण्ड में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना का निर्णय, 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश एवं 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

(5) **एक जनपद–एक उत्पाद** समिट–2018 में लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा एवं मेरठ में विभिन्न उत्पादों हेतु 16965 लाभार्थियों को 3835.89 करोड़ रुपये का ऋण वितरित। इसके अतिरिक्त नॉन ओ0डी0ओ0पी0 हेतु 174226 लाभार्थियों को 14508.98 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया।

(6) प्रयागराज कुम्भ में ओ0डी0ओ0पी0 प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न उत्पादों की 1,64,68,534.00 रुपये की ब्रिक्री की गयी।

(7) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या में **उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।**

(8) प्रदेश में पहली बार 21 से 23 जनवरी, 2019 को वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन।

5. सूचना प्रौद्योगिकीः–

(1) वर्तमान सरकार द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति–2017 तथा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति–2017 जारी की गयी है।

(2) नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया।

(3) 150 करोड़ रुपये के निवेश एवं करीब 15 हजार रोजगार संभावनाओं युक्त मेरठ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(4) शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू। ई–टेन्डरिंग में उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वोत्तम परफार्मेन्स के लिए बेस्ट परफार्मेंस एवार्ड से सम्मानित किया गया।

(5) इन्वेस्टर्स समिट में इलेक्ट्रानिक तथा आईटी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित। इनके क्रियान्वयन पर 150000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। चीन, ताइवान, कोरिया देश की इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्षेत्र की विदेशी कम्पनियों ने प्रदेश में निवेश हेतु रुचि प्रदर्शित की।

6. जी0एस0टी0ः–

(1) माह जून, 2019 तक के प्रगामी लक्ष्य 17978.96 करोड़ रुपये के सापेक्ष 16318.61 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

(2) व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गयी।

(3) 01 अप्रैल, 2019 से जीएसटी पंजीयन हेतु थ्रेसहोल्ड सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की गयी। 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर के सेवा प्रदाता व्यापारियों हेतु कम्पोजीशन स्कीम लागू।

(4) जीएसटी के अन्तर्गत कम्पाउन्डिग की थ्रेसहोल्ड सीमा 01 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की गयी।

(5) कृषकों के हित में नेचुरल गैस पर अतिरिक्त वैट की समाप्ति से यूरिया के मूल्य में कमी।

7. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसलेः–

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में तथा 2019–20 की प्रथम किश्त के रूप में कुल 109.52 लाख किसानों को 4364.57 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित।

(2) राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 44.54 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को 24822.12 करोड़ रुपये का **फसली ऋण मोचन** किया गया।

(3) कृषि निवेशों पर देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला **देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।**

(4) मण्डी समितियों में अब किसान ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होंगे। किसान अपना उत्पाद देश की किसी भी मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र।

(5) **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत 5.79 लाख किसानों को खरीफ एवं रबी में 426.68 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की गयी।

(6) **द मिलियन फार्मर्स स्कूल** कार्यक्रम द्वारा 40 लाख से अधिक किसानों को कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी। 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

(7) किसानों को 3.42 करोड़ **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** वितरित। वर्ष 2018–19 में 36.70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण।

(8) किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि कुम्भ का आयोजन।

(9) प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहनी एवं तिलहनी, मक्का आदि फसलों की सरकारी खरीद।

(10) जून, 2019 तक 206.78 लाख किसानों का आनलाइन पंजीकरण।

(11) वर्ष 2019–20 में खरीफ हेतु ऋण वितरण के लक्ष्य 51316.81 करोड़ रुपये के सापेक्ष 30 जून, 2019 तक 14401.49 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया।

(12) वर्ष 2019–20 में खरीफ के लिए उर्वरकों के कुल निर्धारित लक्ष्य 93.29 लाख मैट्रिक टन के सापेक्ष 16 जुलाई, 2019 तक 70 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया।

(13) सोलर पम्प स्थापना हेतु 2 व 3 हार्सपावर के पम्प पर 70 प्रतिशत व 5 हार्सपावर पर 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य। प्रदेश में 11441 सोलर पम्प स्थापित, 10,000 सोलर पम्प स्थापना की कार्यवाही जारी।

(14) प्रदेश में बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायनों, उपकरणों की बिक्री हेतु आनलाइन पंजीकरण लागू।

(15) प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम) के अन्तर्गत कृषकों को उपज का सही मूल्य दिलाया गया। ई–मण्डी योजनान्तर्गत 17941 ई–लाईसेन्स निर्गत। कृषकों एवं व्यापारियों की सुविधा हेल्प लाइन नं0– 155241 स्थापित। मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 8773 कृषक लाभान्वित।

8. गन्ना किसानों को सुविधाएं :–

(1) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार **दूसरी बार प्रथम स्थान।**

(2) वर्तमान पेराई सत्र–2018–19 के देय गन्ना मूल्य 33044.66 करोड़ रुपये के सापेक्ष 24339.6 करोड़ रुपये का भुगतान।

(3) गन्ना उत्पादकता में वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 320 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 25,984 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि।

(4) विगत 02 वर्षों में चीनी परता में 0.87 की वृद्धि तथा औसतन चीनी परता में वृद्धि से 9.14 लाख टन अतिरिक्त चीनी की उत्पादन।

(5) विगत 02 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों ने रिकार्ड 2140.20 लाख टन गन्ने की पेराई की, जो इससे पूर्व के तीन वर्षों की गन्ना पेराई 2217.36 लाख टन के लगभग बराबर।

(6) बन्द पड़ी चीनी मिल पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) के स्थान पर 5000 टी0सी0डी0 की 2 नई चीनी मिले और 27 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना।

(7) विगत 02 वर्षों में गन्ना किसानों को कुल 70399.02 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो विगत 3 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य 53,389.24 करोड़ रुपये से भी 16,595.74 करोड़ रुपये अधिक है।

9. खाद्य एवं रसद विभाग –

(1) **मूल्य समर्थन योजना** के अन्तर्गत 1840 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए रबी विपणन वर्ष 2019–20 के दौरान गेहूँ खरीद के लिए 6796 क्रय केन्द्रों पर कुल 37.04 लाख मी0टन रिकार्ड गेहूँ खरीद की गई। 7,53,145 किसानों को 6889.06 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया। गत वर्ष 48.25 लाख मी0टन धान खरीद कर 6,83,034 किसानों को 8537.77 करोड़ रुपये का भुगतान।

(2) **उज्ज्वला योजना** के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को 1.35 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित।

10. नगर विकास :–

(1) स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ में 20 हजार करोड़ की परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर।

(2) **प्रधानमंत्री आवास योजना**–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में आवास विहीन लोगों के लिए आवास बनाने हेतु इस वर्ष 3609.44 करोड़ रुपये का प्राविधान। भारत सरकार द्वारा 12,89,243 आवास स्वीकृत, 5,36,742 आवासों की जियो टैगिंग/ग्राउण्डिंग एवं निर्माण कार्य प्रगति पर, जिसमें 2,52,000 आवास पूर्ण।

(3) उत्तर प्रदेश पूरे देश में कुल स्वीकृत आवास एवं लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास घटक में **प्रथम स्थान** पर।

(4) मा0 मुख्यमंत्री नगरीय **अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना** के तहत शहरी क्षेत्रों में सीसी रोड/इंटरलाकिंग, नाली जल निकासी, पेयजल, मार्ग प्रकाश आदि मूलभूत सुविधाएं हेतु योजना संचालित।

(5) **अटल नवीकरण एवं शहरी रुपान्तरण मिशन (अमृत) योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के 60 शहर आच्छादित।

(6) नमामि गंगे परियोजना के तहत 45 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत करते हुए 12 पूर्ण, शेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर।

(7) दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के चयनित 132 शहरों में संचालित।

(8) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत 886283 व्यक्तिगत शौचालय, 63451 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण।

(9) कान्हा गौशाला–बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं का पुनर्वास।

11. सिंचाई:–

(1) सिंचाई विभाग द्वारा सतही जल एवं भूगर्भ जल का उपयोग करके कृषि कार्यों के लिए 74659.57 किमी. नहरों, 29 पम्प नहरों, 33848 राजकीय नलकूपों, 252 लघु डाल नहरों एवं 71 जलाशयों में से 69 जलाशयों के माध्यम से लगभग 98.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

(2) जनपद सोनभद्र में कनहर नदी पर कनहर सिंचाई परियोजना प्रगति पर। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।

(3) भौरट बांध परियोजना से जनपद ललितपुर लाभान्वित होगा। इस परियोजना से कुल 16 हजार हेक्टेयर (रबी में 9000 हेक्टयर तथा खरीफ में 7000 हेक्टेयर) सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना को मार्च 2020 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

(4) सोन नदी पर निर्मित बाणसागर परियोजना को पूर्ण कर मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आच्छादित है। इस परियोजना से 1,70,000 किसान लाभान्वित होंगे।

(5) बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बण्ड़ई बांध की अवशेष कार्य की परियोजना से जनपद ललितपुर के 10 ग्रामों के 1700 किसानों को कुल 3025 हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसको वर्ष 2020 तक पूरा करना प्रस्तावित है।

(6) चालू वित्तीय वर्ष में बाढ़ से सुरक्षा हेतु 245 परियोजनाएं, जिनकी लागत 2383.34 करोड़ रुपये है, प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 143 परियोजनाओं को पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(7) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना **''हर खेत को पानी''** के अन्तर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम हेतु प्रदेश की 4 परियोजनाएं चयनित। इस योजना के तहत वर्ष 2019–20 में 600 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है। इसके तहत सरयू नहर परियोजना फेस–।।। व अर्जुन सहायक परियोजना पर कार्य किया जायेगा।

(8) निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत 114792 नलकूप, गहरी बोरिंग के अन्तर्गत 1690, मध्यम गहरी बोरिंग के अन्तर्गत 4605 नलकूपों की स्थापना कार्य, 152 चेकडैम का निर्माण कार्य प्रगति पर।

12. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण :–

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु वेब पोर्टल uphorticulture.in लोकार्पण किया गया। वेबपोर्टल पर 236 आवेदन पंजीकृत हुए जिसमें 1208.66 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश एवं 20375 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की सम्भावना।

(2) वर्ष 2018–19 में 03 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता के 400 शिविर एवं एक माह के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के 49 कार्यक्रमों में 1470 लाभार्थी प्रशिक्षित।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी द्वारा आनलाइन पोर्टल पर आवेदनों का परीक्षण कर 45 परियोजनाओं के प्रस्ताव का अनुमोदन, जिससे लगभग 218 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश सम्भावित।

13. अवस्थापना सुविधाओं का विकासः–

(1) एक्सप्रेस–वे के निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रुपये की व्यवस्था। जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे हेतु 1194 करोड़ रुपये, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे हेतु 1,000 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

(2) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

(3) आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

(4) नई औद्योगिक नीति ''औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017'' हेतु 482 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

(5) वर्ष 2019–20 के अनुपूरक बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 850 करोड़ रूपये तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के लिए 1,150 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

(6) मेरठ से प्रयागराज तक 600 कि0मी0 लम्बे 'गंगा एक्सप्रेस–वे' के निर्माण का निर्णय। अनुपूरक बजट में इसके सम्बन्ध में 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

14. ऊर्जा :–

(1) प्रदेश के सभी परिवारों को विद्युत सुलभ कराने के लिए **''पावर फार आल''** योजना संचालित।

(2) पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत सभी विकासखण्डों के मुख्य बाजारों में सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना।

(3) पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत सभी राजस्व गांव/मजरे विद्युतीकृत।

(4) उपभोक्ताओं को घर बैठे कनेक्शन लेने के लिए **ई–संयोजन मोबाइल ऐप लांच।** नगरों में स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था।

(5) पहली बार उपभोक्ताओं को स्वयं विद्युत बिल सृजित करने तथा भुगतान इंटरनेट से करने की सुविधा।

(6) उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर 1912 पर शिकायतों का निस्तारण।

(7) सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति जारी की गयी। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने पर शतप्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट। इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट क्षमता सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(8) प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों के मुख्य ग्रामीण बाजारों में समुदायिक प्रकाश व्यवस्था हेतु पं0दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत विगत 02 वर्षों में 18880 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

(9) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना में चयनित राजस्व ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु विगत 2 वर्षों में 7120 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना।

(10) प्रोजेक्ट मोड में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के अन्तर्गत सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था हेतु 22000 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

(11) कृषि विभाग के सहयोग से विगत 02 वर्षों में 12656 सोलर पम्प सिंचाई की स्थापना करायी गयी।

(12) प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं पंखें की व्यवस्था हेतु विगत 02 वर्षों में 1980 सोलर आर0ओ0 वाटर प्लान्टों की स्थापना करायी गयी।

15. श्रम एवं सेवायोजन विभागः–

(1) बाल श्रम उन्मूलन हेतु **नया सवेरा योजना** संचालित। इसके अन्तर्गत 18,376 बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ा गया।

(2) 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके श्रमिकों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन सहायता योजना। प्रदेश में जून 2019 तक 210841 निर्माण स्थलों का पंजीकरण तथा 4941825 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण।

(3) कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी विकलांगता पर 03 लाख रुपये एवं आंशिक विकलांगता पर 02 लाख रुपये की सहायता। श्रमिकों के कल्याणार्थ 18 योजनाएं संचालित।

(4) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित **'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान–धन योजना'** उत्तर प्रदेश में लागू एवं 5,13,917 लाभार्थी पंजीकृत।

16. शिक्षा :–

(1) स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत इस वर्ष 1.80 करोड़ बच्चों का नामांकन। 15000 प्राथमिक विद्यालय तथा 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया। शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु **''ग्रेडेड लर्निंग''** कार्यक्रम चलाया गया।

(2) कक्षा 01 से 08 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म, स्कूल बैग, स्वेटर एवं जूता, ड्रेस, मोजा का वितरण। कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राएं मध्यान्ह भोजन योजना के तहत आच्छादित।

(3) नकल की सम्भावनाओं को कम करने के लिए वायस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी कैमरों आदि की व्यवस्था की गयी। कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों का आधार लिंक आनलाइन अग्रिम पंजीकरण कराया गया।

(4) पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेजों के संचालन के लिए शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 4150 पदों का सृजन।

(5) राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गयी।

(6) मान्यता प्राप्त वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय।

(7) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समस्त राजकीय इंटर कालेजों (बालक) में सहशिक्षा की व्यवस्था तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 25 विकासखण्डों में बालिका छात्रावास संचालित तथा 107 विकास खण्डों में बालिका छात्रावास का निर्माण।

(8) भारत सरकार की बेटी पढ़ाओं बेटी बचाओं की योजना के तहत यूपीएसईई–2018 की 100 टापर छात्राओं, 100 टापर एससी/एसटी छात्र–छात्राओं तथा डिप्लोमा सेक्टर की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश लेने वाले 300 टापर छात्र–छात्राओं को लैपटाप प्रदान किया गया।

17. समाज कल्याण :–

(1) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को चालू वित्तीय वर्ष में 17,500.00 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान।

(2) वर्ष 2019–20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 74,097.00 लाख रुपये एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 60,000.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(3) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ–लेबल सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1500 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

(4) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी वर्गों के निर्धन परिवार की 68,108 पुत्रियों का विवाह कराया गया।

(5) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत इस वर्ष अबतक 21,895 परिवार लाभान्वित।

(6) वृद्धावस्था पेंशन के तहत 41,57,308 पात्र वृद्धजनों को 100 रुपये बढ़ाते हुए 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देते हुए लाभान्वित किया जा रहा है।

(7) पूर्वदशम एवं दशमोत्तर के अनुसूचित जाति के अभिभावकों की आय सीमा 2.50 लाख रुपये एवं सामान्य जाति के पूर्वदशम के 2.50 लाख एवं दशमोत्तर में 2.00 लाख अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा निर्धारित।

(8) मदरसों में एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू किया गया।

(9) अल्पसंख्यक महिलाओं को बिना महरम हज पर जाने की सुविधा।

(10) अल्पसंख्यक वर्ग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति सुलभ कराने के लिए अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख रुपये की गई।

18. महिला कल्याण :–

(1) वृंदावन में निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 हजार बेड का आश्रय सदन बनाया गया।

(2) 181 महिला हेल्प लाइन व रेस्क्यू वैन की सेवा प्रदेश के सभी जिलों में संचालित।

(3) सभी निराश्रित महिलाओं, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, उनको निराश्रित महिला पेंशन योजना से आच्छादित किया गया। इसमें लाभार्थियों की अधिकतम आयु सीमा समाप्त कर दी गई हैं।

(4) प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिका के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आमजन सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा **'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'** लागू की गयी।

19. राजस्व :–

(1) मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत 75 हजार वार्षिक आय वाले कृषक, भूमिहीन कृषक आदि से सम्बन्धित व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से मृत्यु होने पर अधिकतम 05 लाख रुपये तक दिये जाने का प्राविधान। कुल 1538 पात्र व्यक्तियों को किया गया लाभान्वित।

(2) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अबतक 30.97 लाख लोगों का बीमा।

(3) आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत 88.49 लाख लोगों का बीमा।

(4) एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए प्राप्त शिकायतों में 2,61,006 शिकायतों का निस्तारण। 1579 भू–माफिया चिन्हित, 1062 अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध आई0पी0सी0 के अन्तर्गत, 03 के विरूद्ध एन0एस0ए0, 67 के विरूद्ध गैगेस्टर, 298 के विरूद्ध गुण्डा एक्ट तथा 2685 अन्य लोगों के विरूद्ध आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही।

(5) 53754.7503 हेक्टेयर जमीन अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त।

(6) प्रदेश के लेखपालों को लैपटॉप उपलब्ध कराते हुए राजस्व कार्यों को और सक्रिय किया गया।

(7) बाढ़, भूकम्प आदि दैवीय आपदाओं पर तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से **''राज्य आपदा मोचक निधि''** का गठन।

20. परिवहन :–

(1) **निर्भया फण्ड योजना**–उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसे निर्भया फण्ड योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिए चयनित किया गया। इसके तहत महिला यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी बसों में पैनिक बटन एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा की व्यवस्था।

(2) प्रदेश के 19494 असेवित गांवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **'संकल्प बस सेवा'** का संचालन।

(3) परिवहन निगम द्वारा पड़ोसी राज्य नेपाल हेतु अयोध्या से जनकपुर, लखनऊ–रूपईडीहा–नेपालगंज, दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज के लिए अन्तर्राज्जीय बस सेवा का संचालन प्रारम्भ।

(4) निगम को 122.69 करोड़ रुपये का लाभ होने पर सर्वश्रेष्ठ ''प्राफिट मेकिंग एसटीयू'' का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त।

(5) मैन्युअल चालान व्यवस्था समाप्त कर ई–पेमेंट से जुर्माना भुगतान की सुविधा हेतु ई–चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना।

21. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :–

(1) प्रदेश में 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा प्रारम्भ। अब तक 1,13,415 मरीज लाभान्वित। 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 2270 एम्बुलेंस क्रियाशील एवं अब तक 3.47 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित। 108 एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 2200 एम्बुलेंस क्रियाशील। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित।

(2) 53 जनपदों में 134 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित। 546401 लाभार्थियों को ओ0पी0डी0 की सेवा प्रदान।

(3) गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स का निर्माण तथा रायबरेली में शिक्षण कार्य प्रारम्भ।

(4) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत अब तक 1.35 लाख लाभार्थियों का हुआ निःशुल्क इलाज। प्रदेश में अब तक 37,38,218 लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उन्हें गोल्डेन कार्ड प्रदान किया गया।

(5) वर्ष 2011 की जनगणना के सूची में जिन 8.45 लाख गरीब परिवारों का नाम नहीं जुड़ सका था, ऐसे वंचित परिवार के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान संचालित कर 05 लाख रुपये तक सूचीबद्ध 1846 चिकित्सालयों में इलाज कराने की व्यवस्था की गयी।

(6) 'मिशन इन्द्रधनुष' के तहत शत–प्रतिशत बच्चों का प्रतिरक्षण।

(7) प्रदेश में विशेष संचारी रोग, दिमागी बुखार के कारण होने वाली मृत्यु दर में भारी कमी आयी। जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग से बचाव का विशेष अभियान चला कर टीकाकरण किया गया। समस्त जनपदों में रोटा वायरस वैक्सीन एवं मीजिल्स रूबेला वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया। बाल मृत्यु दर में भारी कमी।

(8) प्रदेश के समस्त जनपदों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु 10 शैय्या वाले वार्ड तथा अन्तः रोग की सुविधा।

(9) प्रदेश के 35 जनपदीय चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध तथा 41 जनपदीय चिकित्सालयों में निःशुल्क सी0टी0 स्कैन सेवाएं उपलब्ध।

(10) **प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र योजना** के अन्तर्गत जन औषधि केन्द्रों की राजकीय चिकित्सालयों में स्थापना करते हुए सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

(11) प्रदेश में 07 चिकित्सा शिक्षण संस्थानों राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, राजकीय मेडिकल कालेज, बदांयू एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती, बहराइच, अयोध्या, शाहजहांपुर एवं फिरोजाबाद में पहली बार एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ। प्रदेश में 700 मेडिकल सीटों की वृद्धि।

(12) कैंसर रोगियों के उपचार हेतु एक करोड़ रुपये का बजट दिये जाने का निर्णय।

(13) **प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना** के तहत अब तक 18,57,038 लोग लाभान्वित।

(14) लिंग अनुपात में सुधार के लिए **मुखबिर योजना** संचालित।

(15) नवजात शिशुओं की उचित देखभाल हेतु **कंगारू मदर केयर योजना** प्रदेश की कुल 170 इकाइयां जिला महिला चिकित्सालय/सीएचसी स्तर पर क्रियाशील।

22. सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग) :–

(1) वर्तमान सरकार द्वारा अब तक कुल लगभग 7948 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। इसमें से 933 किमी. को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया गया है। प्रदेश में 9722 किमी0 लम्बाई के मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य। 716 मार्गों की 04 लेन सड़कों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर।

(2) मेधावी छात्रों के निवास स्थलों तक मार्ग का निर्माण/मरम्मत कर **''डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ''** के रूप में विकसित करते हुए 113 सड़कों का निर्माण।

(3) वर्तमान समय में 194 दीर्घ सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 86 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य व 304 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(4) पारदर्शिता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के बजट, पंजीकरण, ई–एमबी, ई–बिलिंग, ई–डिमांड, ई–एलॉटमेंट को ऑनलाइन करने के लिए ''चाणक्य'' एवं ''विश्वकर्मा'' नाम से दो बड़े साफ्टवेयर लागू। प्रदेश की समस्त सड़कों पर जनता की नजर रखने के लिए ''निगरानी एप'' भी ऑनलाइन।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त उ0प्र0 की समस्त सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2018–19 में लगभग 20,100 किमी. से अधिक लम्बाई के मार्गों का नवीनीकरण किया गया और मौजूदा समय में गड्ढ़ा मुक्त अभियान लगातार जारी है।

(6) कुम्भ–2019 प्रयागराज में 646 किमी0 सड़कें, 09 सेतु/आरओबी तथा 22 पाण्टून पुलों का निर्माण।

(7) गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण एवं बुन्देलखण्ड को जोड़ने के लिए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के निर्माण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ।

(8) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1688.27 किमी0 की सड़कों का निर्माण।

(9) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 197 मार्ग पूर्ण तथा 81 मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया।

(10) प्रथम बार नई तकनीकों (वेस्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, नैनों टेक्नोलॉजी, फ्लाई ऐश, सीसी ब्लाक आदि) आदि का प्रयोग कर 1682 किमी. सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण।

23. पंचायतीराज :–

(1) **ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम** को बढ़ावा देने के लिए शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर। व्यक्तिगत शौचालयों को प्रदेश में **इज्जत घर** का नाम दिया गया।

(2) वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,41,51,599 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण।

(3) प्रदेश के समस्त जनपद ओडीएफ घोषित।

(4) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1,32,076 जनप्रतिनिधियों, कर्मियों, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

(5) वित्तीय वर्ष 2018–19 में 401 अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य पूर्ण।

(6) ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश में 6066 पंचायत भवनों का अनुरक्षण कराकर पुस्तकालय/सेवा केन्द्र के रूप में विकसित कराया गया।

24. पर्यटन :–

(1) अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन। छोटी दीपावली के दिन 3,31,052 दिये जलाकर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।

(2) वाराणसी के प्रसिद्ध मन्दिरों पर आधारित पावन पथ वाराणसी वेबसाइट का निर्माण।

(3) स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट एवं स्प्रिचुएल सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट एवं जैन सर्किट का चिह्नांकन कर समेकित पर्यटन विकास कार्य किया जा रहा है।

(4) प्रदेश के विभिन्न प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर–राइड की सुविधा सुलभ कराने की कार्यवाही प्रगति पर।

(5) प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से घरेलू पर्यटन स्थलों का विकास। स्थानीय जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करना एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने पर विशेष बल।

25. ग्राम्य विकास :–

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अब तक गत दो वर्षों में 12.43 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिशत में सर्वाधिक है। इस वर्ष 1.54 लाख आवासों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ। आवास निर्माण में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर।

(2) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 16700 लाभार्थी लाभान्वित। चालू वर्ष में 34017 लाभार्थियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य।

(3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना **(मनरेगा)** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 25 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 656.31 लाख मानव दिवसों का सृजन। इस वर्ष समेकित रूप से 22 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गये।

(4) राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1621 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। 7240 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया तथा 4991 समूहों को निवेश निधि उपलब्ध कराई गई।

(5) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 13,848.89 किमी0 सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया।

(6) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना प्रदेश के 16 जनपदों में संचालित।

(7) प्रदेश की 2,60,018 ग्रामीण बस्तियों में से 5385 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना से 28598 बस्तियां अच्छादित। प्रदेश में ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में ग्रामीण आबादी को पयेजल उपलब्ध कराने हेतु कुल 28.50 लाख इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करते हुए संतृप्त किया गया।

(8) आर्सेनिक प्रभावित 521 बस्तियों, फ्लोराइड प्रभावित 1493 बस्तियों, जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित 544 बस्तियों तथा बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र को पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत अच्छादित किया गया।

(9) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 512 परियोजनाएं पूर्ण।

(10) नीर निर्मल परियोजना के अन्तर्गत 9 जनपदों में 221 परियोजनाओं तथा बैच 2 के अन्तर्गत 592 ग्राम पंचायतों हेतु 379 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ।

26. वन एवं पर्यावरण :–

(1) वृक्षारोपण महाकुम्भ के अन्तर्गत इस वर्ष प्रदेश में 22 करोड़ 37 लाख 46 हजार 180 पौधे रोपे गये। मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना, निजी खेत में मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना, निजी खेत की मेड़ पर मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का प्रारम्भ।

(2) गंगा हरीतिमा अभियान संचालित। गंगा नदी के किनारे स्थित बिजनौर से बलिया तक प्रदेश के 27 जिलों में अभियान चला कर दोनों किनारों से एक किमी0 दूरी के क्षेत्र में 09 करोड़ पौधों का रोपण। वृक्षारोपण से प्रदेश के वनाच्छादन क्षेत्र में वृद्धि।

(3) मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।

(4) पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन के निर्माण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।

27. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास :–

(1) **खेलो इण्डिया योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की कार्यवाही।

(2) कौशल विकास नीति को लागू करने वाला **उत्तर प्रदेश पहला राज्य।** प्रदेश की सभी असेवित तहसीलों में 79 में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 59 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र खोले गए।

28. सूचना विभाग :–

(1) प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे जन कल्याणकारी एवं विभिन्न कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर आधारित 07 दिन 07 पृष्ठ की **ई–संदेश पत्रिका** का प्रति सप्ताह प्रकाशन।

(2) लोकभवन में मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित।

(3) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगार परक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, प्रकाशन, लेख, प्रेस विज्ञप्तियों, फिल्म निर्माण आदि विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार–प्रसार का कार्य।

29. बुन्देलखण्ड पैकेज :–

(1) **प्रदेश सरकार द्वारा** बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप पेयजल योजना प्रारम्भ की गयी।

(2) बुन्देलखण्ड क्षेत्र की 07 अदद परियोजनाएं जमरार बांध, पहुंज बांध, पहाड़ी बांध, गुण्टा बांध, पथराई बांध, लहचूरा बांध, मौदहा बांध परियोजना के कार्य पूर्ण। रसिन बांध, लोअर रोहनी बांध, लोअर रोहनी कैनाल, जाखलौन पम्प कैनाल परियोजनाओं का कार्य प्रस्तावित।

(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 7 जनपद तथा विन्ध्य क्षेत्र के 2 जनपद में कुल 7628 ग्रामों में से 1908 ग्राम पाइप पेयजल योजना से आच्छादित।

(4) बुन्देलखण्ड के 07 जिलों में एक–एक विशिष्ट मण्डी स्थल तथा 133 ग्रामीण अवस्थाना केन्द्रों के लक्ष्य के सापेक्ष 06 विशिष्ट मण्डी स्थलों एवं 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों के निर्माण का कार्य पूर्ण।

(5) बुन्देलखण्ड पैकेज के तृतीय चरण में चेकडैम निर्माण, तालाबों के जीर्णोद्धार तथा नये ब्लास्ट कूपों के निर्माण हेतु 336 करोड़ रुपये का प्राविधान।

30. विविध :–

(1) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों, लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन में 05 हजार रुपये की वृद्धि करते हुए 20176 रुपये व 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश जारी।

(2) प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त पत्नी/पति को प्रदान की जा रही सम्मान राशि में 5000 रुपये की बढ़ोत्तरी करते हुए 20,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि प्रदान की जा रही है।

(3) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3.48 लाख लाभार्थियों को 1784 करोड़ रुपये के ऋण वितरित।

(4) प्रदेश में वर्ष 2019–20 में 10,357 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा।

(5) पूर्वांचल विकास बोर्ड, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन।

(6) स्थानीय हस्तशिल्पियों तथा पारम्परिक कारीगरों के उत्थान के लिए 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' का शुभारम्भ एवं 'उ0प्र0 माटी कला बोर्ड' का गठन।

31. विशेष :– उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना –

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 12.43 लाख आवास बनाकर उ0प्र0 देश में प्रथम।

(2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 22.33 लाख लोगों को पंजीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(3) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत 30.97 लाख लोगों का बीमा। आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत 88.49 लाख सदस्यों का बीमा।

(4) सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में उ0प्र0 देश में प्रथम।

(5) देश में पहली बार 21 से 23 जनवरी को वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन।

(6) ई–टेन्डरिंग प्रणाली में सर्वोत्तम परफार्मेन्स के लिए उ0प्र0 सरकार बेस्ट परफार्मेन्स एवार्ड से सम्मानित।

(7) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उ0प्र0 पहला राज्य बना।

(8) किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला उ0प्र0 देश का प्रथम राज्य।

(9) गन्ना एवं चीनी उत्पादन के उ0प्र0 देश का लगातार दूसरी बार प्रथम।

(10) 1.35 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिये गये।

(11) उ0प्र0 गत दो वर्ष में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने में पूरे देश में अग्रणी।

(12) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उ0प्र0 देश में प्रथम।

(13) मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उ0प्र0 प्रथम राज्य।

(14) कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उ0प्र0 प्रथम राज्य।

(15) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1.35 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन।

(16) ई–मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला उ0प्र0 देश का पहला राज्य बना।

(17) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सर्वाधिक आवास निर्माण।

(18) राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य।

(19) गत दो वर्षों में गन्ना किसानों को 70399.02 करोड़ रुपये का रिकार्ड भुगतान।

(20) सड़क व हवाई कनेक्टीविटी में सर्वश्रेष्ठ।

(21) ईज आफ डूइंग बिजनेस में उ0प्र0 सर्वश्रेष्ठ। सूचनाओं के अदान–प्रदान एवं पारदर्शिता में उ0प्र0 अग्रणी राज्य।

(22) औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में उ0प्र0 शीर्ष 5 राज्यों में शामिल।

.....